राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय
कार्यालय उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी बेरसिया रोड, भोपाल

मो नं. 09425620182, 9303315367, 9617253054

दिनांक : 29.08.2019

क्रमांक फ.अ.के. / 2019--20 / 220

निविदा सूचना

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में अमरूद, नीबू ,बेर एवं आवला फसल वर्ष 2019--20 के विक्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक खरीददार अपने--अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेडी में नीलामी तिथि में समय पर उपस्थित रहकर, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा गठित समिति के समक्ष अमरूद नीबू बेर फसल एवं आवला को नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। अपने--अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपराहंत 2.00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 04.09,2019 को 3.00 बजे के बाद अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति के सामने खोले जावेगे। जिसकी शर्ते निम्न होगी:--

1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को मुख्य अमरूद बगिचे के लिये 25,000/-- पाहरुआ अमरूद बगिचे के लिये 25000/-- एवं नीबू ,बेर एवं आवला 5000/-- की राशि जमानत राशि के रूप में नगद जमा करना होगा। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने से बाद वापस भुगतान कर दी जावेगी।
2. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 24 घण्टे में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।
3. फसल तोडने की अंतिम तिथि अमरूद 31.03.2020 नीबू 30.06.2020 तक ही रहेगा।
4. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. अमरूद नीबू बेर एवं आवला फसल बगीचे का अवलोकन खरीददार स्वयं आकर कर सकते है।
6. फसल की चौकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
7. अमरूद एवं नीबू फसल तुडाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
8. अमरूद एवं नीबू फसल की अवधि के दौरान प्रत्येक जाति के 50--50 फल प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराने होगें।
9. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
10. अमरूद एवं नीबू फसल की गूटी काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. सिंचाई पानी उपलब्ध रहने पर ही दिया जा सकेगा। अधिकतम 3 पानी
12. कीटनाशक दवा एवं फफूंद नाशक दवा ठेकेदार को प्रदाय की जावेगी तथा छिडकाव की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
13. नीलामी के पश्चात फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। टेण्डर खुलने के पश्चात् अंकन 1000/-- एक हजार रूपये इकरारनामा का खर्च ठेकेदार द्वारा किया जावेगा ! अन्तवर्तीय फसलों की खेती की जावेगी इस सम्बंध में ठेकेदार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
14. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
15. ठेकेदार को अलग से अस्थाई विघुत कनेकशन बिजली जलाने के लिये लेना होगा।
16. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु निगोशएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग--अलग की जा सकेगी।
17. टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निविदाकर्त्ता की जमानत राशि वापिस नहीं की जावेगी।
18. नगद पैसा/चेक या डी. डी. बैंक के नियमानुसार जमा होगा !
19. फल अनुसंधान केन्द्र ईटखेडी बैरसिया रोड पर 11वें किलोमीटर पर बायें तरफ स्थित है !

नोट :-- विशेष जानकारी हेतु प्रभारी फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेडी से सम्पर्क करें।

क्रमांक फ.अ.के. / 2019--20 / 221 दिनांक : 29/08/2019

प्रक्षेत्र प्रभारी
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेडी

चस्पा 1. स्थानीय नोटिस बोर्ड